

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम महावीर प्रसाद आदि 22/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2025	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशित पत्रावलीयों की सूची में पत्रावली होने के कारण पत्रावली सीगे से तलब की गई। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में से एक है व उक्त पत्रावली में दिनांक 23.06.2025 को आगामी पेशी दिनांक 22.08.2025 गवाह संख्या 4 व 6 की साक्ष्य हेतु नियत की गई थी परन्तु पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन में कुल 21 गवाह हैं। जिनमें से केवल 3 गवाहों की साक्ष्य अभी तक लेख बद्ध हुई है अतः पत्रावली में तारीख पेशी छोटी की जाना व गवाह सूची कैलेण्डर बनाया जाना न्यायोचित है। दोनों पक्षों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ती नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा इस सम्बन्ध में आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। अतः पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन हेतु गवाहान् को निम्न सूची के अनुसार तलब किया जाए— गवाह संख्या 4, 6, 7, 8 दिनांक 21.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रुपये से। गवाह संख्या 9, 10, 11 दिनांक 25.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रुपये से। गवाह संख्या 12, 13, 14 दिनांक 28.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रुपये से। गवाह संख्या 15, 16, 17 दिनांक 01.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रुपये से। गवाह संख्या 18, 19, 20 दिनांक 02.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रुपये से। तलब किया जावे। तामिल पर यह स्पष्ट नोट अंकित हो की उक्त पत्रावली टारगेटेड पत्रावली है। एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तामिल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप तामिल करावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।	Handwritten signature and initials. SB B/w 15 588 11.07.25

अपर सेशन न्यायाधीश सं-1
खेतड़ी (राजस्थान)

तारीख
हुक्म

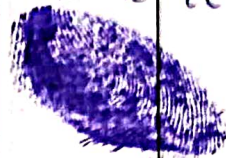
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11/8/25

डापर मोवा - डाकिनीपुवा डापर
डाकिनी मरावरी पर जमाना -
डापर डापर - चल्गावा लिह
Pw-7 के जमाना मेबर क ह -
लिह डापर डापर लिह क -
डाकिनीपुवा - काकपुर बुजगा
डापर डापर पर क ह
मिथीलिह मारवरी फकी लिह
2/8/25 को फेर रहे।

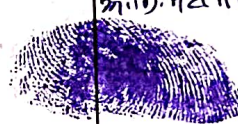
डाकिनीपुवा



2/8/25

डापर मोवा - डाकिनीपुवा
डापर - डाकिनी मरावरी - पर
जमाना - डापर डापर -
Pw-8 बुजगा - बुजगा फी
जमाना मेबर क ह लिह डापर।
डापर डापर - डापर।
डापर क 6, 7, 8 को बुजगा ल
के लिहाम 12/8/25 को
डापर क 9, 10, 11 को डापर
ल के लिहाम 18/8/25 को
डापर क 15, 16, 17 को
के लिहाम 22/8/25 को
डापर क 20, 21 को
डापर 10, 000 के के ल
डापर डापर पर डापर

डाकिनीपुवा



SR

M/P

B/P

636

05-08-25

11/8/25

नथर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

समस्त संयुक्त न्यायाधीश
कोर्ट (संयुक्त)

अपर सेशन न्यायाधीश सं-1
खोखी (बिजुवा)

संस्कृत संस्थान न्यायाधीन सं-३
जोधपुर (राजस्थान)

अपराध दण्ड

22.08.2025

हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज
सरकार बनाम महावीर

नम्बर व तारीख अदालत
जो इस हुक्म की तारीख
में जारी हुई

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण महावीर अनुपस्थित।
आज की हाजरी माफी जरीये अधिवक्ता पेश हुई। जो आज के लिए
स्वीकार की जाती है। गवाह पी डब्लू 12 वीरेन्द्र सिंह व पी डब्लू 13 प्रभू
दयाल व्यास के बयान लेखबद्ध किए गए। अन्य गवाह अनुपस्थित। गवाह
राकेश कुमार व राजवीर हेड कानि. बावजूद सूचना बेलेवल वारण्ट
अनुपस्थित। अतः उन्हें गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली इस न्यायालय की
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित पत्रावलीयों में से एक है।
अतः उक्त गवाहान को दिनांक 29.08.2025 को तलब किया जावे।
पत्रावली पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 26.08.2025 को पेश हो।

Sir
A/W ①
692
25-08-25

अपर सेशन न्यायाधीश सं-1
जेलघर (सरकार)

26/8/25 - डा. पी. पी. - डा. निरंजन
- डा. - डा. महावीर - वर
जमानत माफ - डा. - डा.
डा. राकेश - डा. - डा. राकेश -
उमोह जुगाट बावजूद तलब
B/W - डा. - डा. राकेश -
बिना जुगाट बावजूद
जुगाट वाकेंडाप व बा. रा.
डा. - डा. रा. डा. रा. उमोह
व बिना जुगाट जो A/W
के तलब बिना जारी तलब
पत्रा - डा. रा. तलब
वर उमोह वाकेंडा - डा. रा. रा.
नो. 2 - डा. रा. - हो। पत्रा रा.
जो दिनांक - डा. 12/8/25 -
जो तलब जो। पत्रा पूर्व
निर्धारित तारीख से 29/8/25
को पेश हो।

Sir
A/W ②
700
28-08-25

अ. ज. महावीर

अपर सेशन न्यायाधीश सं-1
जेलघर (सरकार)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम महावीर प्रसाद आदि 22/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी है
29.08.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त महावीर अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरीये अधिवक्ता पेश हुई, जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह राजवीर हेड कानि. का गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामिल आया है। तामिल पर रिपोर्ट है की उक्त गवाह थाने पर उपस्थित नहीं था। ड्यूटी से बाहर जाना बताया है। राजवीर हेड कानि. के आमद व रवानगी का रोज-नामचा थाना खेतडी नगर से तलब किया जावे। पत्रावली इस न्यायालय की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित पत्रावलीयों में से एक है। पत्रावली में कुल 21 गवाहों की सूची पेश की है। तथा जिसमें से कुल 13 गवाह लेखबद्ध किए जा चुके हैं। 2 गवाहों को अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है। अतः कुल 6 गवाह शेष हैं। अतः पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन हेतु गवाहान् को निम्न सूची के अनुसार तलब किया जाए— गवाह संख्या 4, 9, व 10 को दिनांक 12.09.2025 को गिरफ्तारी वारण्ट से। गवाह संख्या 17, 20, 21 को दिनांक 15.09.2025 को गिरफ्तारी वारण्ट से। तलब किया जावे। तामिल पर यह स्पष्ट नोट अंकित हो की उक्त पत्रावली टारगेटेड पत्रावली है। एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तामिल दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप तामिल करावे। अदम तामिल की सूरत में एस एच ओ अदम तामिल के स्पष्टिकरण के साथ न्यायालय में उपस्थित आवें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।	

आपर सेक्शन न्यायाधीश
कोर्ट (राजस्थान)

Sr
Alu
717
03-09-25